सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 368 राँची, बुधवार, 10 ज्येष्ठ, 1938 (श०)
31 मई, 2017 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

30 मई, 2017

संख्या-05/स० भू० दुमका (रेल)-83/17-2689/रा०,

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची ।

विषयः- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक **16 मई**, **2017** में मद संख्या-**24** के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में दुमका जिला के सरैयाहाट अंचलान्तर्गत मौजा-चोरबटिया, थाना संख्या-**38**, खाता संख्या-**35** एवं विभिन्न दाग संख्या में अंतर्निहित कुल रकबा-**11.01** एकड़ गैरमजरुआ आम, खास एवं गोचर भूमि (गोचर भूमि का रकबा-**8.00** एकड़) (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-I) का जिला अवर निबंधन कार्यालय, दुमका द्वारा निर्धारित दर **1,65,400/-** (एक लाख पैंसठ हजार चार सौ) रूपये मात्र एवं राजस्व विभागीय पत्रांक-**4306/**रा०, दिनांक **24 अक्टूबर, 2014** के आलोक में संगणित सलामी

की राशि **18,21,054/- (**अठारह लाख इक्कीस हजार चौवन) रूपये मात्र**,** सलामी का **5** प्रतिशत वार्षिक व्यावसायिक लगान का पूँजीकृत मूल्य की राशि **22,76,318/- (**बाईस लाख छिहत्तर हजार तीन सौ अठारह) रूपये मात्र एवं लगान का **145%** सेस का पूंजीकृत मूल्य की राशि **33,00,660/- (**तैंतीस लाख छः सौ साठ) रूपये मात्र अर्थात् कुल देय राशि **73,98,032/- (**तिहत्तर लाख अनठानवे हजार बत्तीस) रूपये मात्र**,** रेल मंत्रालय**,** भारत सरकार द्वारा अदायगी पर हँसडीहा-गोड्डा न्यू बी०जी० रेलवे लाईन के निर्माण हेतु रेल मंत्रालय**,** भारत सरकार को सशुल्क स्थायी हस्तांतरण एवं उक्त गोचर भूमि के प्रतिपूर्ति हेतु दुमका जिला के सरैयाहाट अंचलान्तर्गत मौजा-चोरबटिया**,** थाना संख्या-**38,** खाता संख्या-**35** एवं विभिन्न दाग संख्या में अंतर्निहित कुल रकबा-**8.00** एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि किस्म परती कदीम (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक **-II**) को गोचर अधिसूचित करने के संबंध में ।

आदेशः- स्वीकृत ।

i) इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि उपायुक्त**,** दुमका प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खाता एवं प्लॉट में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे ।

ii) उपायुक्त**,** दुमका यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि प्रस्ताव में सन्निहित भूमि वन भूमि अथवा जंगल-झाड़ी भूमि है तो वन संरक्षण अधिनियम**, 1980** के तहत् सक्षम प्राधिकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**,** भारत सरकार से अंतिम स्वीकृति मिलने के उपरांत ही भूमि विमुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी ।

iii) प्रस्ताव में सन्निहित गैरमजरूआ आम भूमि के मामले में विधिवत रूप से ग्रामसभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही उपायुक्त**,** दुमका भू-हस्तांतरण की कार्रवाई सम्पन्न करेंगे। उपायुक्त**,** दुमका यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अधियाची उपक्रम के द्वारा ग्रामीणों के लिए गैरमजरूआ आम भूमि के बदले वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी ।

iv) परियोजना के अंतर्गत पड़नेवाली वृक्षों की लागत मूल्य की गणना कर एकरारनामा के समय अधियाची विभाग से राशि प्राप्त कर ली जायेगी ।

v) इस हस्तांतरण से प्राप्त राशि बजट शीर्ष **"0029** भू-राजस्व-**107"** के अंतर्गत जमा होगी ।

vi) राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-**4306/**रा०**,** दिनांक **24 अक्टूबर**, **2014** के द्वारा सरकारी भूमि के मूल्य का निर्धारित दर/सलामी से संबंधित कंडिका-**2 (i)** में विनिर्दिष्ट तीन मापदण्डों के अनुसार ही भूमि के मूल्य की गणना कर उसके भुगतान अदायगी पर भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई की

जायेगी । अगर परियोजना से संबंधित दर/सलामी, लगान एवं सेस सहित राशि में अंतर परिलक्षित होता है तो अंतर राशि को संबंधित उपायुक्त द्वारा एकरारनामा करने के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी ।

vii) अन्य सभी शर्ते राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-**4306/**रा०, दिनांक **24 अक्टूबर**, **2014** इस्टेट मैन्युअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

viii) राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-**4306/**रा०, दिनांक **24 अक्टूबर**, **2014** की कंडिका **4;**हद्ध के आलोक में प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण की तिथि को भूमि के वर्त्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर ही संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि का स्थायी हस्तातंरण की जायेगी, परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि का स्थायी हस्तातंरण किया जायेगा । किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी ।

ix) जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उदय प्रताप,
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 368--50